

RAMGARH NAGAR PARISHAD, RAMGARH

HOLDING TAX RECEIPT

Receipt No. TRN62974520122023035906

Date : 20-12-2023

Department / Section : Revenue Section
Account Description : Holding Tax & Others
Application Type : New Assessment

Ward No : 11

SAF No. : SAF801356201223042832

Property Type : Vacant Land

Owner Name MD NOUSAD KHAN C/O

Address : MANUWA RAMGARH,
RAMGARH, RAMGARH Pin - 829101
M. No : 8210872125

Sum of Rs 4192.00 (in words) Four Thousand One Hundred and Ninety-Two Only

Paid Holding Tax & Others vide Cash

On 20-12-2023 Drawn on NA Place Of The Bank.

Online Payment/Cheque/Draft/ Bankers Cheque are Subject to realisation

Account Description	Period	Amount
Water Tax Arrear	1 / 2016-2017 To 4 / 2022-2023	1284.00
Holding Tax Current	1 / 2023-2024 To 4 / 2023-2024	324.00
	Total	1608.00
	Rainwater Harvesting Tax	0.00
	Penalty Amount	2583.83
	Rebate on current Demand	0.00
	Adjust amount	0.00
	Amount Received	4192.00
	Advance Amount	0.00

वोट है जरूरी।

आज के समय में आज ही पंजीकरण करवाएं।

Every Vote matters.

Register Yourself as a Voter Today.



Signature of Tax Collector



Note:-

- This is a Computer generated Receipt. This receipt does not require physical signature.
- Avail 5% rebate yearly Holding Tax Amount by paying the tax before 30th June of the Financial Year
- Without prejudice to land right
- Urban Development Tax bill will not be valid as proof of ownership.
- इस संपत्ति कर का बिल स्वामित्व के साक्ष्य के लिए मान्य नहीं होगा।

Details Please Visit : suda.jharkhand.gov.in
Call us at 18001204781

In Collaboration With
Ritika Printech Pvt. Ltd.

RAMGARH NAGAR PARISHAD

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 967153281223090116

Date : 28-12-2023

प्रभावी : प्रथम तिमाही 2022-2023

श्री/श्रीमती/सुश्री MD NOUSAD KHAN S/O MD NASIM KHAN,
गोहल्ला MANUWA RAMGARH RAMGARH
RAMGARH , 829101
8210872125

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0110001015000M0 वार्ड सं. 11 हुआ है. आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है।
इसके अनुसार पति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	81.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		81.00



To be signed by the Applicant

- नोट:-
- कर निर्धारण की सूची, RAMGARH NAGAR PARISHAD Website, suda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
 - नियमावली कंडीशन 11.4 के अन्तर्गत वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें।
 - प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
 - यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण धृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
 - किसी देय धृति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
 - यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है, एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडीशन 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
 - RAMGARH NAGAR PARISHAD द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमरतों/दांचो को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दखलदारों को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
 - अगर आपके जन्मे होलिंग नम्बर का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.